150

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1995 (चैत्र 14, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-13-95-बाईस-पं-2, दिनांक 24 फरवरी, 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री गोपाल परमार, डॉ. गौरीशंकर शेजवार तथा श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, मंदसौर में दहेज लोभियों द्वारा एक विवाहिता की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम रनीबोदली में एक कन्या आश्रम की चौथी कक्षा की छात्रा को अवैध गर्भ ठहरने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, जबलपुर के मध्यप्रदेश विद्युत संयंत्र कारखाने के बंद होने से श्रमिकों में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री धनेश पटिला, सभापति, याचिका समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम गणेशपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;
(ख) ग्राम पहाड़ी स्थित उ.मा. विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने ;
(ग) जबलपुर जिले के अनेक ग्रामों के कृषकों को कुएं से सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने ;

(2) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, भोपाल के (टी.टी नगर स्थित) गीतांजली चौराहे से मॉडल हाईस्कूल तक सड़क चौड़ी करवाये जाने ;

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम इसाकपुर के पास नदी पर पुल बनाये जाने ; तथा

(4) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम धोबहट के कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.